भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3220
दिनांक 07 अगस्त 2025

एटीएफ चोरी के कारण नुकसान

†3220. **डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि डिजिटल लॉक, जीपीएस वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) और रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम में करोड़ों रुपये निवेश करने के बावजूद, तेल विपणन कंपनियों के टर्मिनलों के अधिकारी एक मामले में महत्वपूर्ण अलर्ट पर कार्रवाई करने में विफल रहे, जबकि एक टैंकर मुंबई के बजाय हडपसर, पुणे पहुँच गया और इसमें 570 दिनों से अधिक समय तक कार्रवाई लंबित रही और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या एटीएफ चोरी के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी की गिरफ्तारी या निलंबन हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टैंकर टर्मिनल अधिकारियों की जानकारी के बिना या मिलीभगत से छिपे हुए डिब्बों का उपयोग करके ईंधन चोरी करते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(घ) चोरी हुए एटीएफ के स्थान पर आपूर्ति किए गए उत्पाद का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या गंतव्य विमानपत्तनों ने वितरित ईंधन की गुणवत्ता-जाँच की और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ) दिनांक 08.04.2023 को हडपसर पुलिस स्टेशन, पुणे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के दो टैंक लॉरियों से संबंधित मामला दर्ज किया गया था, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) ले जा रहे थे, जिसे नवी मुंबई में एचपीसीएल वाशी टर्मिनल से लोड किया गया था और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) का एक अन्य टैंक लॉरी खाली अवस्था में था जिसकी लॉकिंग व्यवस्था में छेड़छाड़ की गई थी। एचपीसीएल और आईओसीएल दोनों ने उद्योग परिवहन अनुशासन दिशानिर्देशों (आईटीडीजी) के अनुसार संबंधित ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें उद्योग के आधार पर टैंक ट्रकों/लॉरियों को ब्लैकलिस्ट करना और मौद्रिक अर्थदण्ड लगाना शामिल है। इसके अलावा, एचपीसीएल ने वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) की निगरानी में उनकी ओर से चूक को देखते हुए, आपूर्ति स्थल के प्रबंधक-प्रचालन और प्रचालन अधिकारी को दिनांक 27.03.2024 को चेतावनी पत्र जारी किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा ईंधन के सुरक्षित परिवहन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) सुनिर्धारित की गई है। ईंधन के सुरक्षित परिवहन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं:-

- आईटीडीजी संशोधन - चोरी व कम डिलीवरी देने के सम्बन्ध में दण्ड पर अधिक स्पष्टता के लिए दिनांक 1 नवंबर 2024 को उद्योग परिवहन अनुशासन दिशानिर्देश (आईटीडीजी) में संशोधन किया गया। इसके अलावा, जिसमें उत्पाद की डिलीवरी न करना और अन्य कम्पनियों को उत्पाद विपथन करने जैसे कदाचारों से निपटने के लिए अतिरिक्त खण्ड जोड़े गए।

- अनधिकृत ठहराव की निगरानी - संदिग्ध बिंदुओं के अक्षांश और देशांतर के साथ-साथ जिओफेंस्ड क्षेत्र की पहचान वीटीएस प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ऐसे स्थलों पर किसी भी ठहराव का पता लगाने के लिए वीटीएस के माध्यम से टैंक-ट्रक (टीटी) की गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जाती है और यदि ऐसा पाया जाता है तो वीटीएस डेटा की लोकेशन द्वारा जाँच की जाती है और आईटीडीजी के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

- स्थलों को संवेदनशील बनाना: संभावित कदाचारों की पहचान के लिए टीटी के समान पैटर्न की निगरानी हेतु स्थापित चोरी की घटनाओं को लोकेशन के साथ साझा किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और ट्रांसपोर्टर के बीच हुए समझौते के अनुसार, ट्रांसपोर्टर परिवहन किए जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। मात्रा या गुणवत्ता में किसी भी विचलन की स्थिति में, संपूर्ण हानि/लागत संबंधित ट्रांसपोर्टर द्वारा वहन की जाएगी। अनुबंधित टैंकर ट्रकों की किसी भी विचलन के लिए निरंतर निगरानी की जाती है और विचलन के स्थापित मामलों में आईटीडीजी के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विमानपत्तन पर एटीएफ प्राप्त करने वाले स्थल स्वीकृति से पहले घनत्व, प्रतीति और पानी की मात्रा सहित गुणवत्ता की जाँच करते हैं। ये जाँचे विमानन गुणवत्ता नियंत्रण एवं आश्वासन मैनुअल (एक्यूसीएएम) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के सख्त अनुपालन में की जाती हैं।

*****